

प्रेषक

श्री पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,  
आयुक्त एवं सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 फरवरी, 1976।

विषय :—पदच्युत तथा सेवा से पृथक् विवेद जाने के आदेशों को प्रभावी किया जाना।

महोदय,

कार्मिक  
अनुभाग (१)

मुझे यह बहने का निदेश हुआ है कि सी० सी० ए० रूल्स के नियम ४९-बी तथा पनिशेमेन्ट एण्ड अपील रूल्स के नियम १-बी में यह प्राविधिक आविधान था कि सेवा से पदच्युत अथवा पृथक् विवेद जाने के आदेशों को निलग्बन की तिथि से प्रभावी किया जाता था। उपर्युक्त नियमों को अधिसूचना दिनांक ९ सितम्बर, १९५८ के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब यह प्रश्न उठाया गया है कि उपर्युक्त नियमों के निरस्त हो जाने के बाद सेवा से पदच्युत तथा पृथक् विवेद जाने के आदेश किस तिथि से प्रभावी होंगे। इस सम्बन्ध में शासन को यह सलाह दी गई है कि यह आदेश “तात्कालिक प्रभाव” से प्रभावी होंगे।

२—पंजाब सरकार बनाम खेमी राम (ए०आर०आर० १९७०, ए०स०सी० २१४) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आदेश उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को वह आदेश संबंधित अधिकारी को संसूचित (Communicate) किया जाये। संसूचित किये जाने की तिथि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यह वही तिथि होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिये डाक के हवाले कर दिया जाय और सक्षम अधिकारी को उस आदेश में कोई परिवर्तन करने का अधिकार न रह जाये। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस विचार को दिनांक ६ अक्टूबर, १९७५ को निर्णीत पंजाब सरकार बनाम बलवीर सिंह के मामले में दोहराया है। इन निर्णयों के अनुसार यदि संबंधित अधिकारी को आदेश शासन द्वारा संसूचित किया जाना है तो “तात्कालिक प्रभाव” की तिथि वह होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिये डाक द्वारा भेज दिया जाय। जहाँ आदेश विभागाध्यक्षों द्वारा जिला अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है तो तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस तिथि को विभागाध्यक्ष या जिला प्राधिकारी द्वारा तामीली के लिये भेज दिया जाय तथा उसके प्राधिकार से बाहर हो जाय।

3—ऊपर प्रस्तर 2 में स्थिति की गई स्थिति उन्हीं मामतों में लागू होगी जहाँ प्रविन्दारी/कर्मचारी को नियमित किया गया हो या वह अनाधिकृत रूप से प्रयुक्तियत हो। ऐसे मामतों में जहाँ प्रविन्दारी/कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है उनमें तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जिस तिथि को सेवा से पश्चात् तथा पूर्वान् किये जाने का आदेश अधिकारी/कर्मचारी पर तामील हो जाय।

**भवदीय,  
पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी  
आयुक्त एवं सचिव ।**

संख्या ७/९/१९७६ (१)-कार्मिक-१, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित  
ग्रामा से,  
पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,  
शायकत एवं सचिव।

• दिव्य श्री रामचन्द्र का जीवन संक्षेप